(5)

भारत COURT FEE INDIA 20 रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक..................... /2014 निगरानी R-4276-II/14

बाबूलाल पिता लालजीराम
निवासी–ग्राम बज्जाखेडा तहसील शाजापुर
जिला शाजापुर (म.प्र.)......................निगरानीकर्ता

प्रार्थी अभिभाषक श्री शंकर जोशीलाल
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 2-12-14
2-12-14
आयुक्त कार्यालय उज्जैन

//विरूद्ध//

1) इम्तियाज खां पिता इब्राहिम खां जाति
2) अबरार खां पिता इब्राहिम खां जाति मुसलमान
निवासीगण–मीर बजार शाजापुर
..............उत्तरदाता गण

दिनांक 15.12.14 को अभि. आयु. उज्जैन द्वारा प्रस्तुत 15/12/14

निगरानी अंतर्गत धारा–50 भू–राजस्व संहिता

Online 22-12

न्यायालय तहसीलदार शाजापुर आदेश क्र. 348/बी–1/2011/आदेश दिनांक 06.05.2011 एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस विरुद्ध अवैध कब्जा क्र. ए–70/13–14 इम्तियाज खां विरूद्ध बाबूलाल तहसीलदार शाजापुर आदेश दिनांक 19.05.2014 से क्षुब्ध व दुखित होकर यह निगरानी अंदर अवधि पेश की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4276–दो / 14 जिला–शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता व अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–5–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में 2–12–14 को लगभग 6 माह की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है । निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की समय सीमा निर्धारित है, इस प्रकार यह निगरानी 6 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण पारिवारिक अस्वस्थ्यता दर्शाई गई है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	